न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला–अजमेर

प्रकरण संख्या 40 / 2020(2020 / 00134)

शिवराज पुत्र सीताराम धोबी निवासी जुनिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर —प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी — अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः–

1. हनुमान प्रसाद शर्मा–वकील प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी

दिनांक– 12.03.2021

–:: आदेश ::–

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत 2022 मे पेश हुई। वादी के अधिवक्ता एव पैरोकार सरकार उपस्थित प्रकरण मे पक्षकारान को सुना गया संक्षेप मे विवरण निम्न प्रकार है वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवन्यु एक्ट का पेश कर निवदन किया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी वाके ग्राम जुनिया तहसील केकडी जिला अजमर राजस्थान के जमाबदी संवत् 2073–76 के खाता नंबर 1450, जमाबंदी सवत 2069–72 के खाता नंबर 497 जमाबदी सवत 2065–68 के खाता नबर 522 मे दर्ज है प्रार्थी के पिता स्व. श्री सीताराम पुत्र स्व. श्री सुरजमल धोबी कौम धोबी साकिम जुनिया की मृत्यु के पश्चात नामान्तरण संख्या 1098 दिनांक 20.11.2009 का राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज करते समय राजस्व कर्मचारीयो द्वारा भुल वश व सहवश से प्रार्थी का नाम शिवराज के बजाय सोराज अंकन कर दिया गया। जिसे सुधार का प्रार्थी वादी का नाम सोराज के स्थान पर शिवराज दर्ज किया जाने हेतु प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड मे संशोधन किये जाने का निवेदन प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित किया है।

वादी प्रार्थी ने अपने नाम वाके ग्राम जुनिया तहसील केकडी जिला अजमेर राजस्थान के जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता नंबर 1450, जमाबंदी संवत् 2069–72 के खाता नबर 497 जमाबंदी संवत 2065–68 के खाता नंबर 522 मे दर्ज है जिसमे प्रार्थी का नाम सोराज पुत्र सुरजमल खाता नबर 497 मे सोराज पुत्र सीताराम खाता नबर 522 मे सोराज पुत्र सीताराम अंकित है उक्त जमाबंदीयो के साथ परिवार का पहचान पत्र की छायाप्रति नोलिया का आधार कार्ड शिवराज का पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस पेश किये है जिससे सोराज का नाम शिवराज पुत्र सीताराम होना जाहिर होता है

हमने पत्रावली को दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया प्रतिवादी द्वारा दिनांक 12.3.2022 को जवाब / मौका रिपोर्ट पेश कि है जिसे सामिल पत्रावली कि गई। प्रस्तुत जवाब मे हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोट अनुसार प्रार्थी का नाम सोराज के स्थान पर शिवराज पुत्र सीताराम धोबी किये जाना उचित प्रतित होना बताया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट ग्राम जुनिया तहसील केकडी जिला अजमेर जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता नबर 1450, जमाबंदी संवत् 2069–72 के खाता नंबर 497 जमाबंदी संवत 2065–68 के खाता नंबर 522 मे जहाँ जहाँ सोराज पुत्र सुरजमल व सोराज पुत्र सीताराम अंकित है वहां सोराज के स्थान पर शिवराज पुत्र सीताराम दर्ज किये जाने हेतु प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ग्राम जुनिया तहसील केकडी की जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता संख्या 1450 व जमाबंदी संवत् 2069–72 के खाता नंबर 497 व जमाबंदी संवत 2065–68 के खाता नंबर 522 मे इन्द्राजं दुरस्ती करने हेतु स्वीकार किया जाकर उक्त खातो मे जहाँ–जहाँ सोराज पुत्र सुरजमल व सोराज पुत्र सीताराम अंकित है वहाँ सोराज पुत्र सुरजमल के स्थान पर शिवराज पुत्र सीताराम व सोराज पुत्र सीताराम के स्थान पर शिवराज पुत्र सीताराम दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाता है तहसीलदार केकडी आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद की कार्यवाही करावें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत मे खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.04.06 10:34:58 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत
तालुका विधिक सेवा समिति
केकड़ी जिला–अजमेर

Scanned with CamScanner